2.1

प्रपत्र– 11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 804/ 2014 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 2724/ 111(2)/ 15–05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 24.04.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर में गरूड़–बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगली से धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 148.50 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी। शासनादेश की प्रमाणित् प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

विधान सभा बागेश्वर का यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम मगरूपहरी जनसंख्या (440) तालड़ (184) कमोल (229) मालूझाल (190) एवं ओखलसों (333) कुल 1376 आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं जिन्हें परिवहन एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया हैं। पूर्व में शासन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग से कमोल तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिस पर 2.09 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/ 124/ 2013/ एफ.सी./765 दिनांक 13.07.2015 द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी की जा चुकी है। पहाड़ी के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग से ओखलसों तक 10 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्म्राण में प्रभावित होने वाली 4.130 है0 वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/ 121/ 2012/ एफ.सी./25 दिनांक 09.09.2014 (प्रतिलिपियां संलग्न) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति में हैं। अब स्वीकृत मार्ग का निर्माण न्यूनतम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग के कि0मी0 4 के अंत में तालड़ नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है जो कमोल, धमोला, मालूझाल होते हुए ओखलसों में निर्माणाधीन मोटर मार्ग में मिल जायेगा। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 6.00 कि0मी0 आती है।

इस क्षेत्र का तहसील मुख्यालय, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, प्रधान डाकघर, गैस वितरण केन्द्र, महाविद्यालय, पौलिटेकनिक एवं मुख्य व्यावसायिक केन्द्र बागेश्वर है जहां आने के लिए स्थानीय जनता को लगभग 10 कि0मी0 उपर चढ़ाई से पैदल चल कर नीचे मुख्य मोटर मार्ग में आना पड़ता है एवं सामान के साथ वापस चढ़ाई में जाना पड़ता है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। गांव खाली हो रहे हैं एवं कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है और अवशेष मलवा निस्तारण हेतु सड़क के किनारे ही लैन्ड शैडयूल में 0.12 है0 अतिरिक्त भूमि का प्राविधान जोड़ा गया है। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के टोपोसीट इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण बैजनाथ बागेश्वर मोटर मार्ग से कमोल के लिए स्वीकृत मोटर मार्ग के कि.मी. 4 से प्रस्तावित किया गया है जिसमें नाम भूमि, सिविल सोयम, एवं आरक्षित वन भूमि आती हैं। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में प्रथम संरेखण के अनुसार रखा गया है परन्तु लगभग एक कि0मी0 के बाद अधिक आरक्षित वन भूमि आने से इसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। कास्तकारों के पास बिखरी हुई एवं सीमित नाप भूमि होने के कारण जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की आग से सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः 6.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 4.103 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा वन भूमि में 131 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

वन अनुसंधान संस्थान (एफ0आर0आई) कैम्पस, पियरसन रोड, न्यू फारेस्ट, देहरादून–248006
Forest Research Institute (FRI) Campus, Pierson Road, New Forest, Dehradun-248006
Phone No: 0135-2750809, Email: moef.ddn@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/121/2012/एफ.सी. /25 दिनाँक: 09.09.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय : जनपद बागेश्वर में प्रा0 ग्रा0 सड़क योजना (फेज–8) के अन्तर्गत बैजनाथ बागेश्वर मोटर मार्ग से ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.130 हे0 (पूर्व में 4.676 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 1939/1जी–3518 (बागे0), दिनांक– 19.02.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1298/1जी–3518 (बागे0), दिनांक– 11.12.12 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–26.02.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बागेश्वर में प्रा0 ग्रा0 सड़क योजना (फेज–8) के अन्तर्गत बैजनाथ बागेश्वर मोटर मार्ग से ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.130 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 251 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.260 हे0 पन्द्रहपाली सिविल सोयम भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.260 हे0 पन्द्रहपाली सिविल सोयम भूमि सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु इसे वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशानिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8. प्रस्तावित वनभूमि को अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

18/09/2014

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

12. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक, (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–03.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
5. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक(के.)